युवराज की पाचवीं बार रिलॉचिंग में लग रहे हैं 500 करोड़ : राज्यवर्धन सिंह राठौड़

'भाजपा की सरकार आने पर होगी कांग्रेस के घोटालों की जांच'

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सोमवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस से रूबरू हुए।

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोमवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में उनके फोटो के साथ 'धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो' स्लोगन लगे पोस्टर्स पर राठौड़ ने कहा कि जब धर्म की रक्षा के लिए जब एक ऑरिजिनल पार्टी (भाजपा) है तो तो फिर फेक पार्टी की जरूरत क्या है? धर्म का कॉपीराइट तो भाजपा के पास है। कांग्रेस पायरेटेड कॉपी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस धर्म के रास्ते पर आ रही है तो अच्छी बात है। वहीं राठौड़ ने कहा कि 500 करोड़ रुपए राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग पर लग रहे हैं। राजस्थान के नौजवानों की नहीं, एक 50 साल के बच्चे की पांचवी बार इमेज रिलॉन्चिंग हो रही है। इस देश के नौजवानों में अपार क्षमता है। लेकिन फिर भी इस देश का एक नौजवान है, इसके ऊपर पांचवी बार रिलॉन्चिंग के लिए 500-500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है।

उन्होंने कहा कि 2023 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए पैसा राजस्थान से जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये घोटाले संरक्षण और शह के साथ हो रहे हैं। अधिकारियों पर दबाव बनवाकर उनसे गलत काम करवाए जा रहे हैं। राठौड़ ने सीकर में ताराचंद मर्डर मामले में कहा कि पुलिस को राजस्थान में भी खुली छूट देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में गैंगस्टर खुद तख्ती गले में डालकर सरेंडर कर रहे हैं। खुद पैरवी करके कहते हैं कि उन्हें जमानत नहीं चाहिए। मगर इस सरकार में तो ऐसी छूट संभव नहीं दिखती।

उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादों की उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि चुनावी घोषणा में रोजगार और भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 15 बार पेपर लीक हो चुका है। लेकिन सरकार इसकी सीबीआई जांच से डर रही है। पेपर लीक पर एक भी कार्रवाई नही हुई। क्योंकि इनके खुद के लोग इसमें लिप्त हैं। आज बिल पास करवाने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। टीचर के ट्रांसफर के पैसे लिए जा रहे है। एसीबी की कार्रवाई के लिए भी मंत्री से अनुमति लेनी पड़ रही। पूरी कांग्रेस को राजस्थान के घोटाले के पैसे से चलाया जा रहा है। हमारी सरकार आई तो कांग्रेस के घोटालों की जांच कराई जाएगी।

- 'कांग्रेस चुनावी वादे पूरा करने में फेल रही'

जयपुर में पहला स्किन डोनेशन

- एसएमएस अस्पताल में 60 साल की महिला के ब्रेन डेड होने के बाद परिजनों ने डोनेट की स्किन
- आग में झुलसे लोगों के लगाई जा सकेगी त्वचा

जयपुर। राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल में सोमवार को सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बने स्किन बैंक में पहला स्किन डोनेशन हुआ है। डॉक्टर्स की माने तो मृतक महिला के अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बाद उसकी डोनेट की गई स्किन को बर्न केस पीड़ित मरीज को लगाई जाएगी।

एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार जैन ने बताया कि रविवार देर रात एक बजे वैशाली नगर निवासी 60 वर्षीय महिला अनिता गोयल को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। परिजन उसे पास के एक निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। इसके बाद महिला के परिजन ने स्किन डोनेशन का निर्णय किया।

डॉ. जैन ने बताया कि करीब सवा एक बजे उनके पास फोन आया। इसके बाद वे डॉ. अनुप, डॉ. आशा, डॉ. नरपत सिंह और नर्सिंगकर्मी राजेश गोयल के साथ निजी अस्पताल पहुंचे। वहां उन्होंने आइसीयू में महिला की पीठ और पैर की स्किन ली। इस प्रक्रिया में करीब दो घंटे का समय लगा। इसके बाद स्किन को बैंक में स्टोर किया गया। डॉ. जैन ने बताया कि कैडेवर मरीज की स्किन को सुरक्षित रखने के यहां पुख्ता इंतजाम है। महिला की स्किन को पांच वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये स्किन आग से झुलसे चार से पांच व्यक्तियों को लगाई जा सकेगी।

एसएमएस अस्पताल में प्रदेशभर से आग के हादसों में 35 से 50 फीसदी तक झुलसे कई मरीज आते हैं। उस कंडीशन में मरीज को असहनीय दर्द होता है। ऐसे मरीज की स्किन जलने के बाद उसे न तो पट्टी की जाती है और न ही ढका जाता है, खुला रहने पर इंफेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। इनके शरीर में प्रोटीन लॉस और इलेक्ट्रोलाइट फ्लूड की कमी के कारण संक्रमण का खतरा होता है। स्किन बैंक से ऐसे मरीज को अगर स्किन मिल जाती है तो उसकी जान जाने का खतरा 90 फीसदी तक कम हो जाता है।

मजबूरन उन्हें उनकी ही स्किन लगाई जाती थी। जिससे उन्हें रिकवर होने में भी समय लगता था। अब ऐसा नहीं होगा। बैंक से उन्हें स्किन उपलब्ध हो जाएगी। जिससे उन्हें खतरे से बचाया जा सकेगा। हालांकि वर्तमान में इसके लिए वेटिंग जैसी बात नहीं है। स्किन डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा।

गौरतलब है कि स्किन बैंक में आने वाली स्किन को सुरक्षित रखने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस तक की कूलिंग वाले फ्रिज रखे है, जिनमें इस स्किन को रखा जाता है। करीब 6 महीने पहले एसएमएस के सुपर स्पेशिलिटी विंग में ये बैंक खोला गया था, जो राजस्थान का पहला स्किन बैंक है।

सात दिसंबर तक एफआईआर दर्ज नहीं तो होगा देशव्यापी आंदोलन

- आरजेएस एसोसिएशन ने कर्मचारियों से की संयम बरतने की अपील

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक अधिकारी के घर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सुभाष मेहरा के आत्मदाह से जुड़े मामले में कर्मचारियों का बीते 18 नवंबर से चला आ रहा सामूहिक अवकाश सोमवार को भी जारी रहा। इस दौरान कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर के बाहर आकर प्रदर्शन किया। वहीं ऑल इंडिया अधीनस्थ कर्मचारी महासंघ ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर कहा है कि घटना को लेकर 7 दिसंबर तक एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए जाए। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारियों ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।

कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव संजय सूरौठिया की ओर से मुख्य न्यायाधीश को भेजे पत्र में कहा गया कि न्यायिक कर्मचारी मुख्य न्यायाधीश के अधीन है। कोर्ट कर्मचारियों को ही न्यायपालिका से न्याय प्राप्त न हो और उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़े तो सामान्य जनता में भी न्यायपालिका की गरिमा के प्रति प्रतिकूल संदेश जाएगा। वहीं राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी एसोसिएशन ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे न्याय प्रशासन और पुलिस जांच पर विश्वास रखते हुए आंदोलन को समाप्त करें।

आरजेएस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र सिंह चौधरी की ओर से कर्मचारी नेताओं को भेजे पत्र में कहा गया है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस दौरान मर्यादा का ध्यान रखा जाए। आंदोलन के दौरान ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचा जाए, जिससे जब दुबारा साथ बैठकर काम करें तो किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़े। पत्र में कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों का हमेशा से सौहार्द्रपूर्वक संबंध रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कर्मचारियों के मंच का गलत फायदा उठाकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। गौरतलब है कि एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट में पदस्थापित कर्मचारी सुभाष मेहरा ने 10 नवंबर को न्यायिक अधिकारी के घर की छत पर आत्मदाह कर लिया था। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि सुभाष की हत्या हुई है। इसलिए मामले की सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी न्यायिक अफसर को एपीओ करने, मृतक के परिजनों को पचास लाख रुपए मुआवजा सहित एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर बीते 18 नवंबर से सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं।

रोडवेज चालक के शेष बचे 800 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने शहीद स्मारक पर सोमवार को धरना दिया।

जयपुर डिस्कॉम में 5 को अनुकम्पा नियुक्ति

जयपुर, (का.सं.)। जयपुर डिस्कॉम में निगम के मृतक कर्मचारियों के 5 आश्रितों को अनुकम्पात्मक आधार पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रुप में विभिन्न पदों पर नियुक्ति प्रदान की है। सभी को अपने पदस्थापित स्थान पर आदेश जारी होने की तिथि से एक माह में कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए है।

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सैना ने बताया कि निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुये 2 को वाणिज्यिक सहायक द्वितीय एवं 3 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

जयपुर में सुदर्शनपुरा नाले की चौड़ाई और सफाई का काम सोमवार से शुरू हो चुका है। नाले में गंदगी से यहां आसपास रहने वाले लोगों का बुरा हाल था।

जन आक्रोश यात्रा में दिख रहा जन-जन का आक्रोश : राघव शर्मा

- जयपुर शहर की आठ विधानसभा क्षेत्रों में निकली जन आक्रोश यात्रा

जयपुर। प्रदेश भर में फैले जंगलराज ओर बेपटरी हो रही कानून व्यवस्था एवं बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर जनता के मन में गहलोत सरकार के विरूद्ध भारी आक्रोश है ओर अब जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन जन का आक्रोश सामने आ रहा है। यह बात सोमवार को झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के करणी विहार मण्डल में शिव हनुमान मन्दिर चौराहे से प्रारम्भ हुई जन आक्रोश यात्रा में उपस्थित जन समुदाय को सम्बोधित करते हुए भाजपा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष राघव शर्मा ने कही।

इस मौके पर पूर्व विधायक एवं मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, शहर महामंत्री कृष्ण मोहन शर्मा एवं ओबीसी मौर्चा जयपुर संयोजक चेतन कुमावत मौजूद रहे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर चौपाल एवं नुक्कड सभाओं का आयोजन किया गया ओर लोक कवियों के माध्यम से कविता पाठ किया गया। सोमवार को जयपुर की आठ विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। जिसमें आदर्श नगर विधान सभा क्षेत्र में घाटगेट से जन आक्रोश यात्रा का शुभारम्भ हुआ तो वहीं सांगानेर विधानसभा में राजसिान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष प्रणवेन्द्र शर्मा ने श्योपुर मण्डल के कार्यकर्ताओं के साथ श्योपुर चौराहे से जन आक्रोश यात्रा को शुरू किया। मालवीय नगर विधानसभा में विधायक कालीचरण सराफ ने सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से जन आक्रोश यात्रा को शुरू करते हुए कहा कि प्रदेश में लग ही नहीं रहा है कि सरकार नाम की कोई चीज भी है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह, प्रदेश भाजपा सह कोषाध्यक्ष डॉ. श्याम अग्रवाल एवं जिला उपाध्यक्ष अनिल एवं ब्रह्मकुमार सैनी मौजूद रहै। वहीं विधाधरनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक नरपत सिंह राजवी एवं जिला उपाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश सैनी ने नाडी के फाटक से जन आक्रोश यात्रा को शुरू किया। सिविल लाईन्स विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक अरूण चतुर्वेदी ने झूलेलाल मंदिर सिंधी कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रवि शर्मा एवं जिला मंत्री रेखा राठौड़ मौजूद रही। हवामहल विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक सुरेन्द्र पारीक ने चांदी की टकसाल स्थित काले हनुमान मंदिर से जन आक्रोश यात्रा को शुरू करते हुए कहा कि राज्य में कानून का इंकलाब खत्म हो गया है। वहीं अजमेर नगर निगम के उप महापौर नीरज जैन ने कहा कि जनता में अब बदलाव का मन बना लिया है बस चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। इस मौके पर शहर मंत्री सुरेश गुर्जर, एडवांश टीम के सुयोजक रामकिशन शर्मा मौजूद रहे। जन आक्रोश यात्रा के दौरान सभी विधानसभाओं के स्थानीय पार्षद एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस विधायकों के त्यागपत्र प्रकरण में सुनवाई आज

जयपुर, (का.सं.)। कांग्रेस के 91 विधायकों की ओर से विधानसभा स्पीकर को दिए गए त्यागपत्र पर अब तक निर्णय नहीं होने के खिलाफ भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ की ओर से पेश जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। वहीं अधिवक्ता पीसी भंडारी की ओर से मामले में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। भंडारी की ओर से कहा गया है कि यह जनहित का प्रकरण नहीं है। इसमें याचिकाकर्ता और उसकी पार्टी का हित है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाए तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी और याचिकाकर्ता की पार्टी की सरकार बन जाएगी। ऐसे में याचिका में कोई भी निर्णय देने से पहले उसे भी सुना जाए।

गौरतलब है कि राजेन्द्र राठौड़ ने याचिका दायर कर गुहार की है कि विधानसभा स्पीकर को इन विधायकों के इस्तीफों पर निर्णय करने के निर्देश दिए जाए। इसके अलावा इन विधायकों के नाम सार्वजनिक करते हुए बतौर विधायक विधानसभा में इनका प्रवेश भी रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को स्पीकर को अपने इस्तीफे दिए थे, लेकिन उन पर अब तक निर्णय नहीं हुआ है।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने कबाड़ बेचकर 140.52 करोड़ रुपये कमाये

जयपुर, (का.सं.)। रेलवे द्वारा रेल परिसरों में अनुपयोगी तथा व्यर्थ पड़े कबाड़ (स्क्रैप) के निस्तारण करने के लिये अनेक कार्य किये जा रहे है। विजय शर्मा, महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे के दिशा-निर्देशों तथा प्रयासों से उत्तर पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवंबर माह तक अनुपयोगी तथा व्यर्थ पड़े कबाड़ (स्क्रैप) को बेचकर 140.52 करोड़ रुपये की आय का अर्जन किया है।

उत्तर पश्चिम रेलवे ने मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार भण्डार विभाग द्वारा स्टेशनों, रेल परिसरों, फील्ड यूनिट्स से पुराने कबाड़ (स्क्रैप) का निस्तारण कर राजस्व प्राप्त किया जो कि गत वर्ष की इस अवधि के 125 करोड़ की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है। उत्तर पश्चिम रेलवे को इस वर्ष कबाड़ (स्क्रैप) निस्तारण से 192 करोड़ रुपये की आय अर्जित करने का लक्ष्य प्रदान किया गया है।

कथा तरंग की कहानियां नई दृष्टि देती हैं : डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल

जयपुर, (का.सं.)। कथा तरंग और प्रौढ़ शिक्षण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में सुप्रसिद्ध कथाकार अशोक आत्रेय, हेमंत शेष और सुभाष दीपक की 22 कहानियां से सजे कथा संग्रह 'कथा तरंग' का लोकार्पण किया गया।

मुख्य अतिथि प्रतिष्ठित आलोचक डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल ने तीनों कथाकारों को बधाई देते हुए कहा कि कहानीकारों ने कहानी के परंपरागत ढांचे को तोड़कर नए ढंग से लिखने का प्रयास किया है। इनमें नए प्रयोग किए गए हैं। पाठक भी एक ही धारा का नहीं होता बल्कि उसकी रुचिया भी निरंतर बदलती रहती है। डॉ अग्रवाल ने संग्रह की भूमिका के लिए हेमंत शेष की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से कहानी को नए सिरे से समझा जा सकता है। अशोक आत्रेय की कहानी प्रयोगशील है तो सुभाष परंपरागत कहानियों के निकट हैं और हेमंत शेष की कहानियां विचारशील है।

कथा तरंग और प्रौढ़ शिक्षण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में सुप्रसिद्ध कथाकार अशोक आत्रेय, हेमंत शेष और सुभाष दीपक की 22 कहानियां से सजे कथा संग्रह 'कथा तरंग' का लोकार्पण किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठित आलोचक डॉ.दुर्गाप्रसाद अग्रवाल सहित अन्य साहित्यकार भी मौजूद रहे।

समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि आलोचक कृष्ण कल्पित ने कहा कि तीनों लेखकों का समवेत संकलन अर्थपूर्ण है। इसकी भूमिका में इस बात के संकेत हैं कि वह कहानी के मौजूदा ढांचे से असंतुष्ट हैं। यह नए गद्य, नई कहानी, समकालीन कथा के प्रति एक विनम्र विद्रोह है।

डॉ. राजाराम भादू ने कहा कि कलाओं की दुनिया में संवाद निरन्तर होने चाहिए। हेमन्त शेष ने हिन्दी साहित्य के पुरोधा प्रकाश जैन, रिजवान जहीर उस्मान और अशोक आत्रेय जैसे समृद्ध रचनाकारों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। जिन्होंने जीवन में कभी समझौता नहीं किया और यह एक सार्थक प्रयास है। 'कथा तरंग' संचयन मायने रखता है। इससे कथा परम्परा को नया आयाम मिलेगा। यह संचयन पारम्परिक ढांचा तोड़ने में नयापन लाएगा। वरिष्ठ व्यंग्यकार फारूक आफरीदी ने कहा कि कथा तरंग की कहानियों में अणु शक्ति है और हृदय के भीतर उसकी अनुगूंज अपनी छाप छोड़ती है। इन कहानियों में बड़े गहरे संदेश हैं।

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बोड़ा, प्रभाकर गोस्वामी, गनेन्द्र रिझवानी, विजय तैलंग, महेश स्वामी और डॉ. सम्बोध गोस्वामी ने भी कथा संग्रह की उपादेयता पर विचार व्यक्त किए। कथाकार आत्रेय ने 'मोक्ष', हेमंत शेष ने 'खाली कमरा' और सुभाष दीपक ने 'वंदेमातरम' कथा का पाठ किया। डॉ. प्रणु शुक्ला ने संग्रह पर पत्र वाचन करते हुए कहा कि यह संग्रह बुद्धि की तरकश और तर्क के तीरों से संयुक्त है।

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अंकुर सहाय मेरा जायन्दा पुत्र नहीं है। हमनें सिर्फ इसका पालन- पोषण किया है एवं इसकी शादी की है और इसको अपने जीयन यापन के लिए कुछ सम्पत्ति दे दी है। ये आजकल हमारे कहने में नहीं है तथा इसका हमारी सम्पत्ति से एवं हमारे परिवार से कोई लेना- देना नहीं है। भविष्य में यदि ये हमारी सम्पत्ति के बाबत कोई विवाद इत्यादि उत्पन्न करता है तो इसका जिम्मेदार यह स्वयं होगा। माधुरी सहाय पत्नी स्व. आर. एम. सहाय, निवासी - एसपी - 15, भाभा मार्ग, मोती डूंगरी, जयपुर

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहम्मद हुसैन का दिनांक 27.12.2014 को देहांत हो चुका है। स्व.मोहम्मद हुसैन के देहांत के पश्चात उनके विधिक वारिसानों के मध्य पारिवारिक समझौता दिनांक 21.02.2021 को हो चुका है। इस पारिवारिक समझौते से प्लॉट नम्बर-282, जगन्नाथपुरी, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर कुल क्षेत्रफल 216 वर्गगज श्री इकराम हुसैन का प्राप्त हुआ। श्री इकराम हुसैन पुत्र स्व.श्री मोहम्मद हुसैन ही उक्त प्लॉट नम्बर 282 का एक मात्र मालिक, स्वामी, काबिज हैं। उक्त प्लॉट कोई दीगर व्यक्ति अपना बताकर अन्य किसी को भी हस्तांतरित, बख्शीश, रहन, विक्रय आदि ना करें। ना ही अन्य कोई व्यक्ति खरीदे। अन्यथा स्वयम् जिम्मेदार होगा।
जयपुर (मुजीर उर रहमान) एडवोकेट
दिनांक-05/12/2022 मो.नं.-9587860191

राजस्थान आवासन मंडल, वृत प्रथम, प्रताप नगर जयपुर
क्रमांक : 12493 **जाहिर आम सूचना** दि. 5.12.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में वरियता क्रमांक P-14/G-1/MA/SFS/ DUP/SEC-26 प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रेखा चन्द को किया जाकर आरक्षण पत्र 4886 दिनांक 19.01.2008 के द्वारा जारी किया जाकर आवास संख्या 263/749 (MIG-A), (एरिया 96.00 वर्गमीटर) आवंटित किया गया। श्री रमेश कुमार की मृत्यु दिनांक 23.01.2018 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्री दीपक कुमार तोलानी पुत्र स्व. श्री किशन चन्द द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्री दीपक कुमार तोलानी पुत्र स्व. श्री किशन चन्द का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय**
संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आवा. मं. जयपुर

राजस्थान आवासन मंडल, वृत प्रथम, प्रताप नगर जयपुर
क्रमांक : 12477 **जाहिर आम सूचना** दि. 5.12.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की वाटिका आवासीय योजना सांगानेर जयपुर में आवेदक श्री मुरलीधर मीणा पुत्र श्री हर सहाय मीना द्वारा आवेदन क्रमांक RHB / 014034 अल्प आय वर्ग में आवास आवंटन हेतु निवेदन किया गया था। मण्डल नियमानुसार वरियता लॉटरी दिनांक 06.01.2021 के द्वारा वरियता क्रमांक P/04/G&V/LIG/HPS/Vatika/2020 निर्धारित किया जाकर पूर्व ग्रहण राशि मांग क्रमांक 4654 दिनांक 16.07.2021 जारी किया गया था। तत्पश्चात आवास आवंटन लॉटरी दिनांक 24.03.2022 के द्वारा आवास संख्या 1/214 आवंटित किया गया। श्री मुरलीधर मीणा की मृत्यु दिनांक 21.07.2022 को हो जाने के कारण उनकी पत्नी श्रीमती पप्पी मीणा पत्नी स्व. श्री मुरलीधर मीणा द्वारा आवासन मण्डल मे अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त पंजीकरण / आवंटन का हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हैं, श्रीमती पप्पी मीणा पत्नी स्व. श्री मुरलीधर मीणा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **भवदीय**
संपदा प्रबंधक, वृत प्रथम, राज. आवा. मं. जयपुर

सम्पत्ति-क्रय-विक्रय
इंद्रागांधीनगर/मालवीयनगर/सिद्धार्थ नगर/प्रतापनगर, (JLN-रोड/ रिंगरोड़), जगतपुरा/मॉडलटाउन आसपास सभी हाउसिंगबोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-रेजिडेंशियल/कमर्शियल/एग्रीकल्चर/इण्ड्स्ट्रियल/ हॉस्पिटल/इन्स्टीट्यूशन्स/फार्महाउसेस/रिसोर्ट, लेण्डस -(बेचने-खरीदने) हेतुः-भावना एंटरप्राइजेज, रियलिटी चेम्बरः-7599912345

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल जहीर अब्बासी पुत्र श्री गैंदा खां आयु 49 वर्ष निवासी 313, आमगढ शक्ति कालोनी, दिल्ली बाईपास रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर-3 के पुत्र शाहरूख व पुत्रवधु श्रीमती रूबीना उनके व उनके परिवार के कहने में नहीं हैं। इसलिये मेरे मुवक्किल जहीर अब्बासी ने अपने उक्त पुत्र व पुत्रवधु को आज से कई माह पहले ही अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया हैं। इसलिये मेरा मुवक्किल व उसका परिवार उनके किसी भी कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जो कोई भी उनसे किसी भी तरह का व्यवहार रखेगा, संव्यवहार करेगा अथवा किसी भी तरह का लेन-देन करेगा उसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा। सूचित रहे।
(मोहम्मद हारून) एडवोकेट
दिनांक-5/12/22 मो.नं.-9829184976

खोया पाया
मेरा मकान नंबर 183/104 प्रताप नगर सांगानेर का मूल संशोधित आवंटन पत्र क्रमांक 3224 दिनांक 25.01.2008 कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें- निष्चय निर्भीक 9414180808

मेरे मकान संख्या 5/338 SFS मानसरोवर के मूल दस्तावेज आवंटन पत्र एवं कब्जा पत्र कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सूचित करें 9672781277 वन्दना सिंह

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल द्वारा जारी फार्मासिस्ट पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या 47149 जारी दिनांक 15.07.2016 कहीं खो गया है, मिलने पर सूचित करें। अशोक कुमार मीणा बास का टीबा, निवाणा, तहसील चौमूं जिला जयपुर राज. मो. 8005966313

उत्तर पश्चिम रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
सं.: ईएल/118/22आर/2022-23/डब्ल्यू 6/टीएफ दिनांक:03.12.2022 मण्डल रेल प्रबन्धक (बिजली) जयपुर द्वारा, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए तथा उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। **एनआईटी संख्या : ईएल/जेपी/22आर/2022-23 कार्य का नाम:** JPdiv-Schedule Maintenance of 500 kVA DG Set of various make power car (Cummins/Greaves/KOEL) for the period of two years. **अनुमानित लागत:** 5560198.88 **बयाना राशि:** 111200.00 **निविदा खोलने की तिथि:** 02.01.2023 **नोट:- ई-निविदा की अंतिम तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे तक **ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** निविदा खोलने की तिथि को 15:00 बजे के बाद **सम्पूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का पता:**http://www.ireps.gov.in 1021-AC/22
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 69/2022
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल कार्यवाहक प्रन्यासी / (अध्यक्ष) ने प्रन्यास श्री गंगाबक्स फूलचन्द टाटीवाला चैरीटेबल ट्रस्ट सांभर लेक जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 06 जयपुर 2005 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत दिनांक 15.09.2021 को प्रस्ताव पारित कर श्री शंकरलाल भाटी, भंवरलाल भाटी व श्रीमति गीता देवी का देहान्त हो जाने के कारण उनके रिक्त स्थान पर श्रीमति रेखा अग्रवाल, श्री अमित कुमार अग्रवाल, श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल व श्री मुकेश कुमार टाटी को नवीन प्रन्यासी नियुक्त कर उनके नामों को विधान में दर्ज अभिलेख कराने का निवेदन कर जाचं किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 2.12.22 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 5.1.23
मोहर अदालत
रतनलाल योगी (आर.ए.एस)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

NAME CHANGE
I have changed my name from Anita Jat to Anita Chaudhary D/o Chunnilal Jat for all purpose. R/o- 10-B, Ganpati Nagar, Behind Regional College, Ajmer- 305001

I have changed my name from Mohammed Ayyub khan to Mohammad Ayub khan S/O Abdul aziz R/O 201, Jagdish coloni, Rainbow jvailars, Ramgarh Moad, Jaipur (Raj)

राकेश रावल और पूर्णिमा रावल का पुत्र ध्रुवील (Dhruvil) अब ध्रुवील रावल (Dhruvil Raval) के नाम से जाना जावे।

मेरा नाम हर्षित है जिसे बदलकर मैंने अपना नया नाम हर्षित अग्रवाल पुत्र मुकेश कुमार- बी-28, लक्ष्मी नगर-4, चरण नदी, मुरलीपुरा, जयपुर रखा है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।